Government of Rajasthan
Local Self Government Department
(Directorate of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur)

G-3 Raj Mahal Residency, Near Civil Lines Railway Crossing, Jaipur
Tel No. +91 141 2222469 Fax No. +91 141 22224Website www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

No.P.55() PA/CE/DLB/WSC/CWMI/2019-20/ 96524 Date: 1.11.19.

Commissioner,
Municipal Council,
Sriganganagar

Sub:-Regarding New house service connections in water supply work under contract package no. RUSDP/SGN/01 in Sriganganagar.

Ref:-1. Project Director, RUIDP letter no. 9396 dt. 10.10.2019
2. Chief Engineer (Urban & NRW), PHED order no. 93086-385 dt. 28.03.2018.

With reference to above subject and referred letter no. 9396 dt. 10.10.2019, it is informed by Project Director, RUIDP that in Sriganganagar new house service connections are not being released as per PHED order no. 93086-385 dt. 28.03.2018.

Therefore, you are directed to release new house service connections on grounds of documents required for release of new domestic water connection along with Aadhaar Card as per Chief Engineer (Urban & NRW), PHED order no. 93086-385 dt. 28.03.2017, in case of lack of ownership document of land/property, so that non-revenue water may be minimized and people of urban areas may be accrued by water supply project.

Encl:-As above

(Ujjawal Rathore)
Director cum Joint Secretary

No.P.55() PA/CE/DLB/WSC/CWMI/2019-20/ 96525-531 Date: 1.11.19

Copy to following for information and necessary action:

1. PS to Secretary, LSG, GoR, Jaipur.
2. PS to Director Cum Joint Secretary, DLB, Jaipur.
3. Project Director, RUIDP, AVS Building, Jawahar Circle, JLN Marg, Jaipur.
4. District Collector, Sriganganagar.
5. Deputy Director Regional, LSG, Bikaner.
6. Superintending Engineer, RUIDP, Sriganganagar.
7. Programmer, IT cell, DLB Jaipur to upload this letter on website.
8. Guard File.

(Bhupendra Mathur)
Chief Engineer

क्र. संख्या

राजस्थान सरकार
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

जल प्रदाय योजना, ...

नवीन जल संबंध हेतु आवेदन पत्र

(आवेदक द्वारा भरने हेतु जो लागू हो उस खाने में √ करें अन्य खाने में **x** करें)

1. आवेदक का नाम ____ 2. पिता/पति का नाम ____

3. आवेदक का आधार संख्या ____ 4. आवेदक का भामाशाह संख्या ____

5 भवन/स्थान का पूर्ण पता जहॉं जल संबंध लेना है ____

6. भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर ____ वर्ग मीटर ____

7. भवन का निर्मित क्षेत्रफल वर्ग मीटर ____ वर्ग मीटर ____

8. भवन/स्थान की श्रेणीः निजी आवास /राजकीय आवास गृह /कार्यालय /दुकान /अन्य ....

9. आवेदक की स्थिति : मालिक / किरायेदार / अन्य

10. क. आवेदक का स्थाई पता ____

ख. आवेदक का व्यवसाय एवं कार्यालय/प्रतिष्ठान का पता ____

11. जल संबंध का प्रयोजनः घरेलू ▪ /व्यवसायिक ▪ /औद्योगिक ▪ / प्रकारः स्थाई ▪ /अस्थाई ▪

12. जल संबंध की साईजः 15 ▪ /20 ▪ /25 ▪ /40 ▪ /50 ▪ /80 ▪ /100 ▪ /150 ▪ / मिलीमीटर

13. जल संबंध की प्रणालीः मीटर युक्त ▪ / फ्लैट रेट ▪

मैं जल प्रदाय के संबंध में समय–समय पर प्रभावशील समस्त नियमों तथा विनिमयों का पालन करने के लिये सहमत हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा – पत्र

1. आवेदक, पानी के उपयोग के लिए निर्धारित दरों के साथ जल राजस्व, सीवरेज प्रभार की राशि एवं अन्य सभी प्रकार के प्रभार अधिभार का नियमों के अनुसार हर माह नियत तारीख को भुगतान करने को सहमत है। भुगतान नही करने पर कनेक्शन काटने का अधिकार विभाग को होगा।
2. मीटर की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता जिम्मेदार होगा। मीटर के चोरी चले जाने/खो जाने की स्थिति में स्वयं के खर्चे पर उपभोक्ता को नया मीटर लाकर/विभाग में जमा कराना होगा। मीटर क्षतिग्रस्त होने पर आवेदक से क्षतिपूर्ति राशि वसूली जायेगी।
3. मीटर मैला/किसी प्रकार की लीकेज होने पर या मीटर में खराबी होने की स्थिति मे उसकी सूचना विभाग को देने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
4. आवेदक द्वारा समर्पित नया मीटर भविष्य मे सरकारी मीटर माना जावेगा। आवेदक को प्रतिमाह मीटर किराया देना होगा।
5. आवेदक के जल संबंध पर किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में उसका जल संबंध विभाग को बिना किसी पूर्व सूचना के काटने का अधिकार होगा।
6. जिन बस्तियो मे सरकार द्वारा जल प्रदाय विकास शुल्क पूर्व मे नही लिया गया है, वहा विभाग द्वारा जल प्रदाय विकास शुल्क मांगे जाने पर आवेदक को जमा कराना होगा, अन्यथा उसका जल संबंध विच्छेद कर दिया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा जो जल संबंध लिया जा रहा है वह किसी न्यायालय या किसी भी विभाग मे विवादग्रस्त नही है पूर्णतः मेरे अधीन है।
8. सरकार अथवा अन्य सरकारी एजेन्सी द्वारा भूमि को आवाप्त करने या भवन को हटाने पर विभाग को जल-संबंध विच्छेद करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं उस तारीख तक जो भी बकाया होगा उसका आवेदक भुगतान करने के लिये बाध्य होगा।
9. आवेदक उक्त जल संबंध का उपयोग किसी प्रकार के वैधानिक अधिकार एवं भूमि स्वामित्व के लिये नहीं करेगा।
10. आवेदक को दिये जा रहे जल संबंध मे पानी का दबाव कम आयेगा तो इस विषय में कोई आपत्ति तथा कोई वाद न्यायालय में दायर नहीं किया जावेगा।
11. वर्तमान भवन/निर्माणाधीन भवन दो मंजिल (ग्राउण्ड-1) से अधिक नहीं है। जब भी मे दो मंजिल से अधिक निर्माण होगा तब नियमानुसार प्रति वर्गमीटर प्लाट क्षेत्रफल के हिसाब से अतिरिक्त राशि विभाग मे जमा करा दी जाएगी।
12. रोडकट राशि के संबंध मे यदि भविष्य में अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो आवेदक उसका भुगतान करने हेतु सहमत है।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर विभाग को आवेदक का जल संबंध विच्छेद करने का अधिकार होगा एवं इस बाबत् विभाग को जो भी हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति करने को वह बाध्य रहेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ संलग्न की जा रही हैं।

क. –भवन /भूखण्ड /के स्वामित्व के प्रमाण इकरारनामा / या/
–किराये पर रहने का प्रमाण / राजकीय आवास का आवंटन पत्र / या/
–कच्ची बस्ती के मामले में सर्वे का पत्र ।। / या/
–अतिरिक्त जल संबंध हेतु : पूर्व जल संबंध का गत माह का बिल /स्वामित्व का प्रमाण / या/
–अस्थाई जल संबंध हेतु : कार्य का विवरण / कार्य आदेश की प्रति
–अन्य ....

कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदन पत्र का इन्द्राज किया । आर–1 पंजिका क्रमांक .... दिनांक ....

जल संबंध लिपिक

साईट रिर्पोटः

1. पाइप लाइन का व्यास .... मिलीमीटर
2. प्रकार : एसी. / पीवीसी / सी.आई. / डी.आई / अन्य
3. पाइप लाइन की भवन / स्थान से देरी ....मीटर
4. पानी का दबाव .... किलोग्राम / वर्ग से.मी.
5. पूर्व में जल संबध है तो बिल खाता संख्या 1. .... 2. ....
6. पड़ौसी के पानी के बिल का खाता संख्या ....
7. सीवरेज कनैक्शन है तो कोड़ न. ....
8. रोड़ कटिंग का विवरण : माप .... मीटर × .... मीटर .... मीटर × .... मीटर

   प्रकार : पेवर / साधारण डामर / डब्लू.बी.एम. / पत्थर के चौके / सिमेन्ट कंकरीट /

   संबधित विभाग ....
9. अन्य विवरण ....

दिनांक .... कनिष्ठ अभियन्ता

लेजर कीपर की रिर्पोट (पूर्व में जल संबध होने पर) जल संबंध स्वीकृत किया जाता है।

खाता संख्या ....

जल राजस्व बकाया नही है। लेजरकीपर सक्षम अधिकारी

1. सड़क मरम्मत जमा राशि रू............................ .... रसीद संख्या .... दिनांक ....
2. समर्पित मीटर नम्बर .... परिमाण .... मिलीमीटर. मेक ....
3. जल संबंध राशि रू. .... प्रतिभूति रू. .... अन्य रू. .... योग रू. ....

   रसीद संख्या .... दिनांक ....

जल संबध लिपिक

पाइप फिटिंग निरीक्षण प्रतिवेदन / अनुमोदनः–

1. (क) जी.आई. / एम.डी.पी.ई. पाइप व स्पेशल्स निर्धारित मापदण्ड के है / नहीं है

   (ख) सर्विस लाइन की गहराई 0.60 मीटर से कम नही है / कम है

   (ग) मीटर स्थल निर्धारित ऊँचाई पर बनाया है / नही है

   (घ) क्षेप्य जल विर्सजन के लिए नाली का प्रबन्ध है / नहीं है

   (च) सर्विस लाइन नाली / सीवर मैन होल से होकर नहीं जा रही है / जा रही है व केसिंग कर दी गई है / केसिंग नहीं है ।

   (छ) साइट पर पाइप फिटिंग पूर्ण है / पाइप फिटिंग अपूर्ण है / पाइप फिटिंग नहीं है

   (ज) अन्य विवरण ....

दिनांक .... कनिष्ठ अभियन्ता सहायक अभियन्ता

जल संबंध प्रतिवेदनः

1. जोब कार्ड संख्या .... दिनांक ....
2. जल संबंध चालू करने की दिनांक ....
3. जल संबंध पर लगाये मीटर का विवरणः मीटर नं. .... परिणाम .... मि.मि.मेक .... प्रा.पठन ....
4. आर.2 पंजिका क्र.सं. .... 5. आवंटित खता संख्या .... सर्विस संख्या ....
6. विशेष विवरण ....

जल संबंध लिपिक

कनिष्ठ अभियनता (मीटर अनुभाग)

(विभाग द्वारा आवेदन पत्र जमा करते समय इसे अलग कर आवेदक को देना है)

जल संबंध हेतु आवेदन के लिए निर्देश:

1. आवेदन पत्र को पूर्णरूप से भरकर वांछित दस्तावेजों की सप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न कर,, आवेदन पत्र फाइल में लगा कर संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र जमा कराते समय कार्यालय में इसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें।
2. विभाग से जल संबंध स्वीकृति की सूचना मिलने पर पाईप फिटिंग कार्य, नलकार से अनुमानपत्र प्राप्त करके ही करवायें। पाईप फिटिंग कार्य कराने के पश्चात् विभाग को पाईप फिटिंग पूर्णतया प्रमाण–पत्र एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत करें।
3. जल संबंध हेतु बी / सी श्रेणी (आइ. एस. आइ. मापदण्ड) के पाइप व अन्य फिटिंग का उपयोग करें।
4. रोड कटिंग होने पर रोड कटिंग मरम्मत राशि संबंधित विभाग, जो उस रोड की मरम्मत करता है, में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। सड़क काटते समय नलकार जमा राशि रसीद की सत्यापित / अनुमति पत्र के साथ साइट पर उपलब्ध रहे।
5. पानी का नया मीटर खरीदते समय उसका विभाग द्वारा जारी जाँच प्रमाण–पत्र साथ में अवश्य लेवें।
6. जाँच शुदा मीटर तथा माँगी गई राशि विभाग में जमा कराके रसीद प्राप्त करें।
7. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवनों में प्रथम जल संबंध हेतु आवासन मण्डल द्वारा दिया गया पाइप फिटिंग प्रमाण पत्र विभाग में मान्य है।
8. जल संबंध जारी किये जाने के समय विभाग से जल संबंध पूर्णतया प्रमाण–पत्र संबंधित उपखण्डीय कार्यालय से प्राप्त करें।

जल संबंध होने के बाद उपभोक्ता के लिए सूचना:

1. आपका जल संबंध जारी होने से तीन माह के अन्दर यदि पानी का प्रथम बिल आपको प्राप्त न हो तो राशि की रसीद व जल संबंध प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि ले कर संबंधित सहायक अभियन्ता से सम्पर्क करें।
2. आपके यहाँ लगे मीटर की पूर्ण सुरक्षा रखें।
3. मीटर का पठन करना आप स्वयं भी सीख लें तथा प्रत्येक माह पठन कर बिल में अंकित मीटर पठन से मिलान कर लेवें।
4. यदि आपका पानी का बिल निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होता है तो आप संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में सम्पर्क कर बिल की प्रति प्राप्त करें।
5. मीटर या बिल संबंधी शिकायत होने पर सहायक अभियन्ता कार्यालय में सम्पर्क करें। वहाँ पर शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है।
6. उपखण्ड के मीटर पाठक / बिल वितरक / अन्य कर्मचारी / नलकार से शिकायत होने पर पूर्ण प्रमाण सहित क्षेत्र के सहायक अभियन्ता से सम्पर्क करें। उचित कार्यवाही न होने पर खंडीय कार्यालय में सहायक अभियन्ता (सर्तकता) से सम्पर्क करें।
7. अच्छी सेवा के लिए विभाग को आपके सहयोग की अपेक्षा है। पानी के बिल का भुगतान समय पर करें व छूट राशि का लाभ उठाएँ।

स्वच्छ जल सीमित है, इसका सदुपयोग करें।

रसीद आवेदन पत्र

श्री / श्रीमति / कुमारी .... से (स्थान) ....

.... पर नये जल संबंध हेतु आवेदन प्रत्र प्राप्त हुआ।

आर–1 पंजिका क्रमाक .... दिनांक ....

जल संबंध लिपिक
(कार्यालय मोहर)

Format for No Objection Certificate

(If the applicant is a tenant in the premises, where new water connection is required)

This is to certify that I, ... (name of owner) have no objection for release of a new water connection by PHED to the tenant Shri/Smt. ... ... (name of tenant) at the premises (address) ... ..., being the owner of this land/plot.

Signature of owner of land/plot with
name and address

Certificate by Applicant

प्रमाण–पत्र

(पाईप फिटिंग कार्य पूर्ण होने पर, आवेदक द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण–पत्र)

दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नांकित भवन / स्थान में नया जल संबंध हेतु पाईप फिटिंग कार्य पूर्ण कर लिया है।
फिटिंग का कार्य निम्न प्रकार है:

1 आवेदक का नाम [ ]

2 भवन / स्थान का पूर्ण पता जहॉं जल संबंध लेना है: [ ]

3 एम.डी.पी.ई. पाईप की साईज एवं लंबाई: [ ]

4 जी.आई. पाईप की साईज [ ] मि.मी. 5 जी.आई. पाईप की श्रेणी [ ]

6 मीटर सर्विस लाईन की लम्बाई [ ] मीटर

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:–

(क) एम.डी.पी.ई. पाईप एव जी.आई.पाईप व स्पेशल्स निर्धारित मानदण्ड के लगाये गये है।
(ख) सर्विस लाईन की गहराई 0.60 मीटर से कम नहीं है।
(ग) मीटर स्थल की ऊँचाई भू सतह से 0.30 मीटर से कम नही है।
(घ) मीटर की सुरक्षा के लिये मीटर बाक्स / चैम्बर की व्यवस्था कर दी गयी है।
(च) सर्विस लाईन नाली / सीवर मैन होल से होकर नही जा रही है।
या सर्विस लाईन नाली / सीवर मैन होल से होकर जा रही व केसिंग कर दी गई है। यदि हां तो केसिंग की साईज [ ] मि.मी. है।
(छ) साईट पर पाईप फिटिंग पूर्ण है।

आवेदक के हस्ताक्षर ... ...
नाम व पता (मोहर)

SERVICE CONNECTION SPECIFICATION

1. A clamp saddle shall be fixed on distribution main. The clamp saddle shall be of wrap around design, wide skirt and wide straps support. The material of construction of the body shall be of a non corrosive material such as engineering plastic (RE/PP) or Stainless Steel or Cast Iron.
2. The design of the saddle body should be such that, the service connection outlet metal insert shall project out towards pipe side and align with the hole drilled on the pipe to ensure positive locking against rocking or creeping on the pipe, as might be caused by vibration, pressure or excessive external loading.
3. Providing required size of HSC brass ferrule with union, make hole by drilling on top of distribution mains, fixing the ferrule making the connection water tight etc., as shown in the drawing.
4. Medium Density Polyethylene pipe (MDPE) SDR-9 Class below ground level and GI pipe (Class B) above ground level shall be used for house service property connection.
5. Meter space shall be provided in the campus that in easily accessible for reading, preferably 1 feet above the ground level.
6. A stop cock with union of suitable size shall be fixed before meter.

HOUSE SERVICE CONNECTION

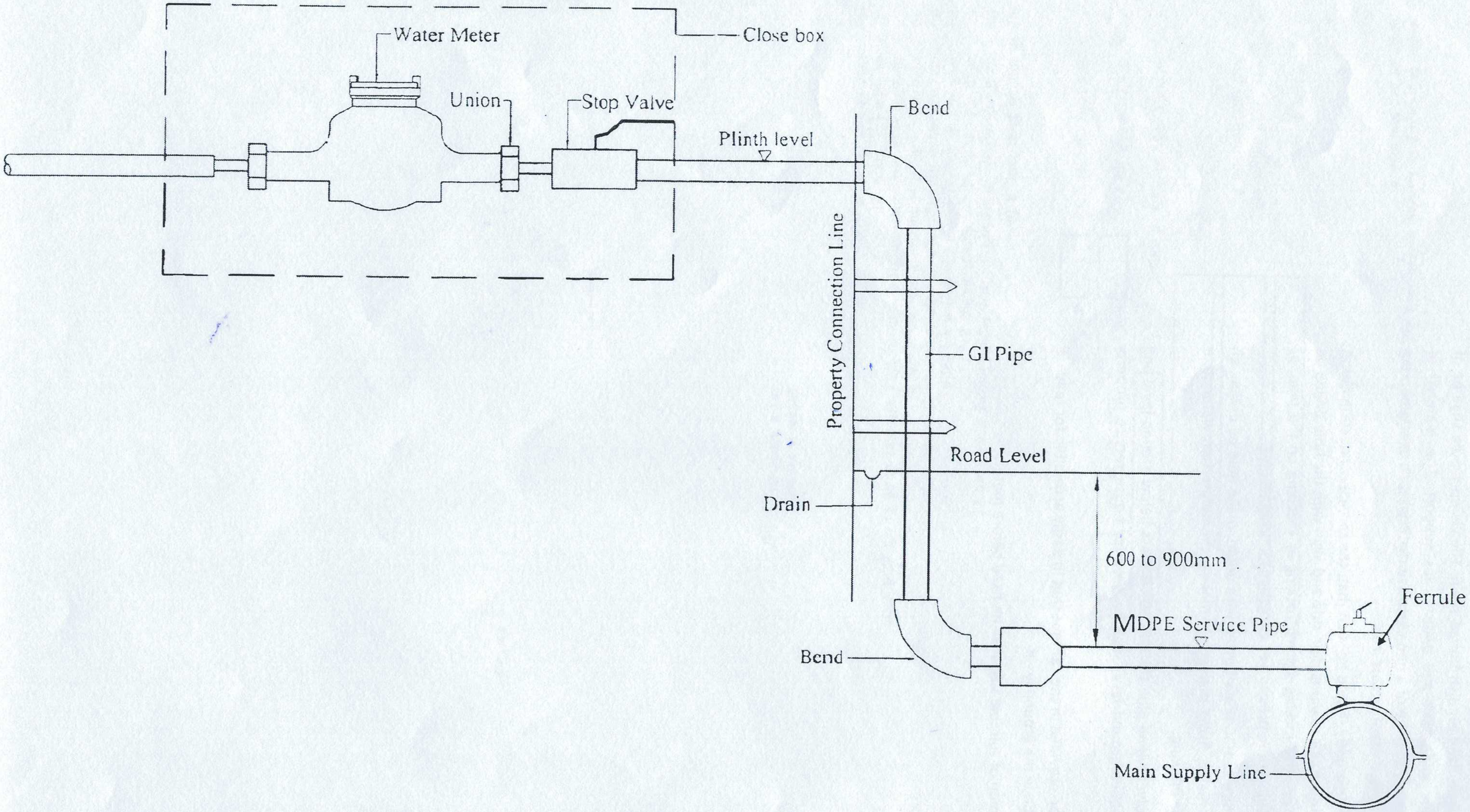

Certificate

This is to certify that New Water Connection is released bearing Consumer Identification number and A/c No. .... in the Name of .... at (address of Premises) ....

on dated ....

Thank You,

Assistant Engineer
(Signature & Seal)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (शहरी व एन.आर.डब्ल्यू.),
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, 2-सिविल लाईन, जयपुर - 302006
फोन : 0141-2222053 फैक्स : 0141-2222585 ई-मेल : rj_cehq@nic.in

क्रमांक : F.10(1)/PHED/ACE(U)/EE-VIII/EoDB/2017-18/93096-385 दिनांक : 28/03/2018

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 63872 - 64022 दिनांक 19.01.2018 के निरन्तरता के क्रम लेख है कि नवीन जल संबंध जारी करने के लिये आवेदक से भामाशाह पंजीयन संख्या लेने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाता हैं।

नवीन जल संबंध जारी करने के लिये आवेदक से आधार पंजीयन संख्या अनिवार्य रूप से लिया जावे। साथ ही विद्यमान उपभोक्ताओं से भी आधार नम्बर लेकर अभिलिखित किया जाना सुनिश्चित करें। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगें।

इ०/- 28.3.2018
(आई.डी.खान)
मुख्य अभियन्ता (शहरी एवं एन.आर.डब्ल्यू)
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F.10(1)/PHED/ACE(U)/EE-VIII/EoDB/2017-18/93096-385 दिनांक 28/03/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. मुख्य अभियन्ता, (समस्त) जन स्वा.अभि.विभाग,
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, आर.डब्ल्यू.एस.एस.एम.बी.जयपुर ।
3. वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय) जन स्वा.अभि.विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (समस्त), जन स्वा.अभि.विभाग, क्षेत्र.......................।
5. अधीक्षण अभियन्ता (समस्त) जन स्वा.अभि.विभाग, वृत.......................।
6. अधिशाषी अभियन्ता (समस्त) जन स्वा.अभि.विभाग, खण्ड........................... को भेजकर लेख है कि अपने अधीन सहायक अभियन्ताओं को भिजवाकर पालना सुनिश्चित करावें ।

इ०/- 28.3.2018
मुख्य अभियन्ता (शहरी एवं एन.आर.डब्ल्यू)
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग